

न्यायालय :- प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह विशेष न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) मधेपुरा।

A.B.P. No-163/2026

भरही थाना कांड संख्या-14/2026

1. मंटू साह, उम्र करीब 41 वर्ष, पिता स्व० भागवत साह
2. रेणु देवी, उम्र करीब 41 वर्ष पति मंटू साह
(दोनों साकिन -साहुगढ़ भगवानपुर टोला, वार्ड नं.-11, थाना एवं जिला-मधेपुरा)

.....अभियुक्तगण।

बनाम

बिहार सरकारविपक्षी।

06-08-2026

आवेदक अभियुक्तगण **मंटू साह एवं रेणु देवी** की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा आज एक आवेदन दाखिल किया गया तथा अग्रिम जमानत आवेदन पत्र को प्रचालित किया गया।

दोनों पक्षों को सुना। आवेदक अभियुक्तगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन को वापस लेने हेतु एक आवेदन दाखिल किया गया है। अतः अग्रिम जमानत आवेदन-पत्र वापस लेने का अनुमति प्रदान की जाय। उक्त आवेदन पर विद्वान लोक अभियोजक द्वारा कोई भी आपत्ति नहीं की गयी है। अतः अग्रिम जमानत आवेदन संख्या-163/2026 अभियुक्तगण की ओर से दिये गये वापसी आवेदन के आधार पर **खारिज** किया जाता है।

लेख्यपत्र

(संजीव कुमार-II)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम
सह -स्पेशल जज, मधेपुरा।